

उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का न्यायालय (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

अपील वाद संख्या 01/2019


रौनक अंसारी

बनाम

जन सूचना पदाधिकारी

—सह—जिला भू—अर्जन पदाधिकारी


लोहरदगा ।

आदेश क्र०/तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
15.01.19	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अभिलेख सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत रौनक अंसारी, पिता अशरफुल हक ग्राम—अंजुमन मोहल्ला, लोहरदगा, पो0—लोहरदगा, थाना—लोहरदगा, जिला लोहरदगा के अपील के आधार पर यह अभिलेख संधारित किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) के तहत जन सूचना पदाधिकारी—सह— जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा से दिनांक 28.11.2018 को सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इनके द्वारा अपील दायर किया गया है ।</p> <p>सुनवाई के क्रम में जन सूचना पदाधिकारी—सह— जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 143/भू0अ0, दिनांक 17.12.2018 के द्वारा अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दिया गया है। जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, (सूचना का अधिकार अधिनियम)</p>	

ज्ञापांक :- ...65.....

दिनांक :- 15.01.19...

प्रतिलिपि :- रौनक अंसारी, पिता अशरफुल हक ग्राम—अंजुमन मोहल्ला, लोहरदगा, पो0—लोहरदगा, थाना—लोहरदगा, जिला लोहरदगा को सूचनाार्थ प्रेषित ।



प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
(सूचना का अधिकार अधिनियम)